



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ११, अंक ९(२)]

सोमवार, मार्च १०, २०२५/फाल्गुन १९, शके १९४६

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, MAHARASHTRA STATE

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032,

Dated 10th March 2025.

NOTIFICATION

No. BYE-2025/C. R. 25(1)/25/XXXIII/Election-1.— In pursuance of Section 151, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following are published for general information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 10th March, 2025
19 Phalgun, 1946 (Saka)**NOTIFICATION**

No.100/MT-LC/14/2025-MLA (1).—Whereas, the seat of **Sh. Padvi, Amashya Fulaji** in the Legislative Council of the State of Maharashtra, elected by the members of the Legislative Assembly of the State, has become vacant on 23.11.2024 by the reason of his election to Maharashtra Legislative Assembly, before the expiration of his term of office which was up to and including 07.07.2028; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ;

Now, therefore, in pursuance of Section 151, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra to elect, before **29th March, 2025 (Saturday)**, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State ;

(B) **appoints**, with respect to the said election ;

(a) the 17th March, 2025 (Monday), as the last date for making nominations ;

(b) the 18th March, 2025 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations ;

(c) the 20th March, 2025 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 27th March, 2025 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and

(e) the 29th March, 2025 (Saturday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख $\frac{10 \text{ मार्च, 2025}}{19 \text{ फाल्गुन, 1946 (शक)}}$

अधिसूचना

सं. 100/महाराष्ट्र-वि.प./14/2025-एम.एल.ए. (1).—यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित **श्री. पाडवी आमश्या फुलजी**, का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 07.07.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा में उनके निर्वाचित होने के कारण 23.11.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) महाराष्ट्र राज्य के विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 29 मार्च, 2025 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्द्वारा बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख — 17 मार्च, 2025 (सोमवार);
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख — 18 मार्च, 2025 (मंगलवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख — 20 मार्च, 2025 (गुरुवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा — 27 मार्च, 2025 (गुरुवार); और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा — 29 मार्च, 2025 (शनिवार); नियत करता है;
- और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव.

M. R. PARKAR,
Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक बीवायई-२०२५/प्र.क्र.२५(१)/२५/३३ निवडणूक-१
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक १० मार्च २०२५.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) उप सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (३) अवर सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (४) निवडनस्ती.

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.